

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली
(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक 1028

प्रेषक:

अजय कुमार सिंह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली

सेवा में:

आयुक्त / व्यवस्थापक / प्रबंधक
रात फारिस हाई स्कूल थाना रोड, महनार

हाजीपुर दिनांक


23/6/17


विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत विद्यालय को प्रदत्त प्रस्वीकृति की अवधि विस्तार के संबंध में।


महाराज,


उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के आलोक में किये गये प्रक्रिया के उपरान्त आपके विद्यालय रात फारिस हाई स्कूल थाना रोड, महनार वैशाली को कक्षा प्रथम से अष्टम तक संचालन हेतु तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2017 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए आवंटित औपचारिक प्रस्वीकृति संख्या-RTE-VSL-0057/2014 का अवधि विस्तार किया जाता है। प्रदत्त प्रस्वीकृति शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के धारा-18 के अन्तर्गत प्रपत्र-2 में वर्णित शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति संख्या-RTE-VSL-0057/2014 है। कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।


Principal
St. FRANCIS HIGH SCHOOL
Mahnar, Vaishali


23/6

विश्वरूपराज

(अजय कुमार सिंह)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली

SHRI RAM KRISHNA WELFARE SOCIETY

SECRETARY